राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
एस.बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर
Website –www.rsmm.com ,email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN &U14109RJ1949SGC000505
फोन नं- - 0151–2200171–73, 2540537,फैक्स नं- 0151–2523519

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशासन / 7(39) / 2023– 436 दिनांक 03.01..2024

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, प्लॉट नं.02,गांधी नगर योजना, बीकानेर कार्यालय में साफ सफाई
एवं रख रखाव हेतु निविदा प्रपत्र।

निविदा प्रपत्र की बिक्रीःदिनांकः– **04.01.2024** से दिनांक **23.01.2024** तक

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समयःदिनांकः **24.01.2024** समयःदोपहर **03:00** बजे तक

निविदा खुलने की तिथि व समय : दिनांकः **24.01.2024** समयःदोपहर **03:30** बजे

प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक
(कार्यालय दिवस में)
स्थान : आर.एस.एम.एम.लि.,2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर।
निविदा प्रपत्र का मूल्य : रू. 590 / –(अखरे रूपये पॉच सौ नब्बे मात्र,
जी.एस.टी. सहित)

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)
बीकानेर कार्यालय की ओर से जारी

कॉर्पोरेट कार्यालय
4,मीरा मार्ग, उदयपुर
फोन : 0294–2428763–67

रजिस्टर्ड कार्यालय
89–90 लालकोठी स्कीम,
जयपुर फोन : 0141–2743735

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.
(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
एस .वी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर
फोन नं. - 0151&2200171&73, 2540537 फैक्स नं. - 0151&2523519

अनुभाग–प्रथम
परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

- **"आरएसएमएमएल"** या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–89–90, लाल कोठी स्कीम,जयपुर–302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4– मीरा मार्ग,उदयपुर– राजस्थान है।
- **अनुबंधकर्ता** :अनुवंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुवंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रषासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है
- **वैधानिक दायित्व** :एस.वी.यु. क्षैत्र से संवंधित मौजुदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।
- **स्वीकृति** का अर्थ है कम्पनी ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।
- **प्रवंध निदेशक** : प्रवंध निदेशक का अर्थ आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक से है।
- **अनुंबंध** : अनुवंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुवंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुवंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताऍ, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।
- **अनुबन्ध दर व अनुसूची दर** व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा मे वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुवन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है
- **प्रबन्धक(कार्मिक एवं प्रशासन) का अर्थ** :कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य कासमग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रशाासन करेगा, से है।
- **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)**: का अर्थ है आरएसएमएमएल के एस.बी.यु. एण्ड पी.सी.–जिप्सम से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)
- संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।
- LOA /DLOA –से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमैल/फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।
- **लिखित सूचना** : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है।
- **बीकानेर, कार्यालय, बीकानेर** – जहॉ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है ।
- **टेण्डर** : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा ऑनलाइन भरी गई निविदा , सम्बंधित दस्तावेज बाद में किये गये विचार विमर्श,एवं वार्तालाप का लिखित ब्यौरा, कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।

क्र.आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशासन / 7(39) / 2023– 436 दिनांक :03.01.2024

अनुभाग–द्वितीय

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, एस.बी.यु. एण्ड पी.सी.–जिप्सम, बीकानेर कार्यालय में साफ सफाई एवं रख रखाव हेतु मोहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं ।

1.0 **कार्य एवं कार्य क्षेत्र**

आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के बीकानेर कार्यालय में साफ–सफाई एवं रख रखाव का कार्य निम्न अनुसार किया जाना चाहिये:–

(i) सफाई कार्य, कार्यालय खुलने के पूर्व 7.00 to 9.00 amकिया जाना चाहिये। उसके पश्चात हर 4 घंटे में बरामदो, सीडीयों एवं स्वागत कक्ष की सफाई की जानी चाहिये ।

(ii) फर्नीचर इत्यादि की सफाई भी नियमित रूप से जानी चाहिये।

(iii) कार्यालय मशीनरी, टेलीफोन,फाईल रेक्स, अलमारियाँ, खिड़की–दरवाजों की सफाई, मकडी के जाले हटाना इत्यादि नियमित रूप से ऑफिस खुलने से पूर्व 7.00से 9.00 amके बीच किया जाना चाहिए।

SN	work	Frequency of service
1.	सम्पूर्ण सफाई कार्य,बेसमेन्ट(पार्किंग स्थल),सभी कमरों, टोयलेटस्, बाथरूम, भूतल पार्किंग स्थल, पोर्च की सफाई,काम में न ओने वाले पोस्टरस् / पेपरस् आदि को बरामदो, सीढियों आदि से हटाना, कचरा पात्र साफ करना,सभा कक्ष की साफ सफाई करना, दरवाजों, खिडकियों, रोशनदान इत्यादि को साफ करना, जाले हटानाइत्यादि ।	7 am to 9 am कार्यालय दिवस में एवं कभी भी आदेश देने पर ।
2.	वाश बेसिन में साबून/लिक्विड सोप एव टावल आदि की व्यवस्था करना ।	नियमित रूप से हमेशा ।
3.	Glazing एवं ए.सी.पी. की सफाई व्यवस्था	महिने में एक बार उपयुक्त मशीनों से की जानी चाहिए ।
4.	छत की सफाई	महिने में एक बार की जानी चाहिए।

2.0 **कार्य अवधि :**

कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से **एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी** । सफल निविदाकार विभाग के साथ एक अनुबंध स्वयं के खर्चे पर करेगा जो एक (01)वर्ष तक मान्य होगा। जो कार्य आदेश जारी होने के एक महीने मे करना होगा ।

निविदा नियम एवं शर्तें :–

3. निविदाएं दो लिफाफों में निम्नानुसार भरनी है। –

(अ) प्रथम लिफाफे में जिस पर ''टेक्नीकल बिड'' लिखा होगा, में निम्नलिखित दस्तावेज होंगें।

(1) वांछित बयाना राशि रू.7600/–का डिमाण्ड ड्राफट/पे आर्डर ।

(2) कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त नही होने का प्रमाण–पत्र।

(3) निविदाकार को सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले तीन (3)वर्षो में कम से कम एक(01)वर्ष साफ–सफाई एवं रख रखाव का कार्य का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए । निविदाकार का उक्त संस्थान का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।

(ब) दूसरे लिफाफे में जिस पर ''वित्तीय बिड'' लिखा होगा, अनुलग्नक–V में दरें उल्लेखित करनी होगी।

3.2 पहले ''टैक्नीकल बिड '' खोला जायेगा एवं उसके नियमानुसार ठीक पाये जाने पर दूसरा''वित्तीय विड'' लिफाफा खोला जायेगा।

3.3 (क) दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में बंद करके उस पर निम्न पता लिखना होगा।

प्रमुख एवं प्रभारी(जिप्सम),आर.एस.एम.एम.लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर।

(ख) लिफाफों के उपर ''निविदा कमांक एवं दिनांक 24.01.2024 के पूर्व न खोला जाए''लिखा होना चाहिए।

(ग) लिफाफों के उपर 'निविदाकार द्वारा अपना नाम व पता एवं फोन नंम्बर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

3.4 निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिस पर **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)**,एस.वी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2,गॉधी नगर योजना,आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर कार्यालय लिखा होगा ,दिनांक **24.01.2024** को दोपहर 03.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए। निविदाऍ उसी दिन दोपहर 03.30 बजे प्रवन्धक(का.एवं प्रशा.) के कक्ष में खोली जायेगी।

4.0 <u>बयाना राशि (EMD)</u>

4.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रूपये 7600/–(रू. सात हजार छः सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर बयाना राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि आर. एस. एम. एम. लि. बीकानेर के नाम से देय हो।बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

4.2 सफल निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।

4.3 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

4.4 अगर सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी होने के पष्चात सात दिवस में कार्य आरम्भ नही करता है तो बयाना राशि या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी व कार्य आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा ।ऐसे निविदाकर्ता भविष्य में कम्पनी में किसी निविदा में भाग नही ले सकेगें ।

4.5 निविदाकार की बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है–

i) यदि निविदाकार निविदा देने के पष्चात वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकार कार्य आदेष को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नही करता है ।

iii) यदि निविदाकार प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबंध सम्पादित नही करता है ।

iv) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकार ने गलत सूचना व फर्जी दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

v) यदि कार्य आदेष जारी होने के पष्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

5. **प्रतिभूति राशि (Security Deposit)**

5.1 कम्पनी के प्रचलित नियम व शर्तो के अनुसार प्रतिभूति राशि की दर कुल निविदा कार्य की 10% है निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। बयाना राशि समायोजन करने के पश्चात् 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र /एल0ओ0ए0 जारी करनेके 15 दिन के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि की कटौती प्रतिमाह के बिलों में से से की जायेगी।

5.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी। कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।

5.3 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः(06)माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी प्रकार की कटौतियॉं, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो डयूज और नो क्लेम का प्रमाण पत्र (No dues and no claim certificte) भी देना आवश्यक हैं।

5.4 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

5.5 पी.एफ. मे रजिस्टर्ड प्रस्तावाकों अथवा तकनीकी भाग के साथ इस आषय का षपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने पर कि कार्य आदेष जारी होने के बाद पी.एफ.को रजिस्टेषन करवा लिया जायेगा को ही निविदा में भाग लेने हेतु योग्य माना जायेगा ।

6 **वस्तु एवं सेवाकर (GST) से सम्बंधित नियम एंव शर्ते–**

6.1 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।वस्तु एवं सेवाकर(GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर(GST)जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

6.2 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) रहित एंव अंनुबध पर लागु अन्य सभी करों सहित (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक)होगी ।

6.3 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर अंनुबध अवधि में स्थिर रहेगी एंव अनुबंध अवधि में प्रस्तुत दर मे किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जायेगी ।

6.4 वस्तु एवं सेवाकर (GST) को समय पर जमा करवाने एंव समय पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी । ठेकेदार को यह भी सुनिष्चित करना होगा कि अगले महीने में RSMMLके लिएGST पर आवश्यक

क्रेडिट उपलब्ध हो परन्तु यदि क्रेडिट उपलब्ध नही होता तो कम्पनी द्वारा इस राषि का भुगतान ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राषि में से कटौती(Deduct)/वसुल(Recover)/रोक कर (Retain) किया जायेगा।

6.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के भुगतान नही होने की स्थिति में,याGST के भुगतान एंव रिटर्न फाईल से सम्बंधित पेनल्टी भी कम्पनी द्वारा ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राषि में से कटौती(Deduct)/ वसुली(Recover)/रोक कर(Retain) की जायेगी ।

6.6 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ सम्बंधित कर अवधि में GST जमा करवाने एंव रिटर्न फाईल करने के संदर्भ में परिवचन(Undertaking)प्रस्तुत करना होगा। मासिक बिलों में GSTIN एंव HSN/SAC Code दर्षाना होगा ।

6.7 इसके अलावा प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय यह परिवचन(Undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा कि आज दिनांक तक (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक) GST के भुगतान एवं उसके रिटर्न फाईल की जा चुकी है एंव इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद लंबित नही हैएवं ना ही कोई चुक हुई है ।

7.0 <u>पेनल्टीः—</u>

7.1 कार्य आदेश जारी होने के सात दिवस मे कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा रू 500 प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी। ।

7.2 प्रशासन द्वारा कोई भी अनियमितता पाये जाने पर **750/—रू.** की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी। प्रबंधन द्वारा समय—समय पर दिये गये सुझाव/आदेश ठेकेदार को मानने होंगे।

7.3 ठेकेदार द्वारा कार्य न करने की स्थिति में प्रतिदिन **1500/— रूपये** की पेनल्टी ठेकेदार द्वारा दी जायेगी इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

<u>सामान्य नियम एवं षर्ते :—</u>

8. प्रस्तावक/ ठेकेदार का पिछले तीन वर्षो (वर्ष 2020—21, 2021—22, 2022—23) में किसी भी एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर रूप्ये 100000/— प्रति वर्ष होना आवश्यक है ।

9. ठेकेदार द्वारा सफाई एवं संबंधित कार्य हेतु केवल ब्रांडेड/आईएसआई / अच्छी क्वालिटी के ही सामान को उपयोग में लेना होगा। ठेकेदार साफ सफाई एवं रखरखाव हेतु सामानों की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करेगे एवं सुनिश्चित करेगे कि आवश्यक सामग्री स्टॉक में है।

10. विभाग की ओर से ठेकेदार को सामान रखने हेतु स्थान बिना शुल्क के उपलब्ध करवाया जायेगा।

11 ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से समय पर सफाई कार्य हेतु न्युनतम (03) तीन सफाईकर्मी प्रत्येक कार्यदिवस में उपलब्ध करवाने होगे एवं ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्तियें की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है।

12 ठेकेदार को चाहिये कि उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ—सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं सक्रमित व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13 **यदि ठेकेदार द्वारा वाश बेसिन पर लिक्विड सोप, टावल एवं अन्य साफ—सफाई में काम आने वाले सामान उपलब्ध नही करवाया जाता है तो कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिसकी लागत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से वसूल की जायेगी इस संबध में ठेकेदार की आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी ।**

14 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियें को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियें का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।

16 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्तियें के वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदार को करने होगें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।

17 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्तियें के बारे में पूरी जानकारी ठेकेदार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।

18 साफ सफाई एवं रख रखाव हेतुउपलब्ध कराई गई सामग्री स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम होना आवश्यक है।

19 ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियें का बीमा स्वयं करवायेगा। अनुबंध अवधि में किसी तरह की दुघटना होने पर RSMMLका उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

20 ठेकेदार द्वारा अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियें को वर्दी दी जानी चाहिए एवं सफाई कार्य के समय के सभी सफाई करने वाले व्यक्ति वर्दी में ही हो।

21 कम्पनी द्वारा नियमत सफाई के अतिरिक्त किसी भी समय आवश्यकता होने पर सफाई का कार्य करवाया जा सकता है,जिसके लिये ठेकेदार द्वारा कम से कम एक सफाईकर्मी कार्यालय समय मे उपलब्ध करवाना होगा।इसके लिये कोई अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

22 सफल निविदाकार को राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत अपना पंजीकरण कार्य आदेष जारी होने के एक महीने मे करवाना होगा

23 मासिक बिलो का भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों के उपलब्ध करवाने पर किया जायेगा

1. मासिक बिल (दो प्रतियो में) ।
2.. P.F.जमा करवाने का चालान ।
3.. E.S.I.जमा करवाने का चालान।
4.. वेतन भुगतान रजिस्टर की सत्यापित फोटो प्रति।

24. सफाई के समय किसी भी तरह की टूट–फूट होने पर उक्त सामान की पूरी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सफल निविदाकार को सभी संसाधन स्वयं ही जुटाने होंगे एवं उक्त कार्य अन्य किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं देगा।

25. इच्छुक निविदाकार द्वारा कार्यालय स्थान का निरीक्षण निविदा भरने से पूर्व तक किया जा सकता है।

26. **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)**,आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)**,आर.एस.एम.एम.एल., किसी भी दर की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगें।

28. ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तो का पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने/सफाई कार्य को संतोष पूर्ण ढंग से निष्पादन नहीं करने पर निर्धारित कमेटी द्वारा उचित क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती कर दी जाएगी।

29. ठेकेदार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में समूह महाप्रबंधक –जिप्सम, आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

30. इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय ही रहेगा।

31. निविदाकार आवेदन तिथि से निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्ते तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो कम्पनी को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ले ।

32. ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियेां के कृत्यों (Acts & deed) के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

33. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक (01)माह के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

34. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती की जावेगी एवं ठेकेदार को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।

35. समय समयपर राज्य /केन्द्र सरकार द्वाराठेके के अधीन कार्यरत व्यक्तियेां के संबंध में जारी दिशा/निर्देश/नियमों, उपनियमों एवं नियमों में संशोधन की पालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी

36. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 से संबंधित प्रावधानः–**

37. सार्वजनिक खरीद अधिनियम में राजस्थान ट्रांसपेरैंसी के सभी प्रावधान और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले संषेाधन और उसके तहत बनाए गए नियम स्वत: ही लागू होंगे ।

38. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013 की धारा 40 के अधीन यदि कोई बोली लगाने वाले या भावी बोली लगाने वाले व्यथित होता है कि खरीद इकाई का कोई निर्णय, कार्यवाही या चूक इस अधिनियम के प्रावधान या इसके द्वारा जारी किए गए नियमों या दिषा निर्देषों के उल्लंघन में है तो वह इस तरह के निर्णय या कार्यवाही की तारीख से दस दिनों में पहले या दूसरे अपील प्राधिकारी के समक्ष मामले को स्पष्ट रूप से दर्षाकर निर्धारित षुल्क के साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षित अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत फार्म न. 01 (नियम 83 देखे) में दायर कर सकता है ।

निविदा की अन्य विशिष्ट शर्ते

1. साफ सफाई एवं रखरखाव हेतु सामान स्टॉक में उपलब्ध होने चाहिये। जिसकी प्रशासन विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
2. असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो प्रतिभूति राषि (Security Deposit)जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
3. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू है एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।
4. किसी भी प्रकार के हानि/दावा/क्षतिपूर्ति जो ठेकेदार अथवा उसके अधीन कार्यरत व्यक्तियेां द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रक्टर की होगी।

5. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों और कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कम्पनी को मुक्त रखेगा।

6. ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रेक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970, एम्प्लोयस लायबिलीटी एक्ट, 1938इण्ड्रस्टीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

7. अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952एवं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, और उनके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों कें अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा ।

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)

अनुलग्नक– I

सत्यनिष्ठा की संहिता एवं हित का विरोध की अनुपालना :–

सत्यनिष्ठा की संहिता:–उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कार्मचारीः

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने उपापन संस्था को उपापन किया है या करना चाहता है, कोई रिष्वत, इनाम या उपहार की या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य नियोजन के वचन से तात्विक फायदे के लिए अभ्यर्थना नही करेंगे या स्वीकार नही करेंगे ।

(ii) अपने कार्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्यनिष्ठा का अधिक्षेप्य स्तर बनाये रखेगें ।

(iii) किसी भी उपापन संस्था की बोली प्रकिया में किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति कोई वित्तीय हित नही रखेंगे और किसी भी बोली लगाने के प्रति वित्तीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस उपापन प्रकिया में भाग नही लेगा ।

(iv) उपापन प्रकिया में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्षिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और सौम्यापूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे।

(v) सूचना और सूचना के स्त्रोतों से संव्यवहार करने के दौरान समस्त परिस्थितियों में उपापन संस्था के हितों का संरक्षण करेंगे।

(vi) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा ।

(vii) उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नही डालेगा ।

(viii) हित का विरोध ,यदि कोई हो , प्रकट करेगा ।

(ix) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देष में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विर्वजन को प्रकट करेगा।

हित का विरोध :बोली प्रकिया में भाग लेने वाले बोलीदाता के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।

किसी उपापम संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालो के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत वाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनूपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो ।

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नही है यदि,–

1. उनके समान नियंत्रक भागीदार है ।
2. वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करतें हैं या प्रात्त की है ।
3. उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
4. उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की वोली के वारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो ।
5. कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रकिया में एक से अधिक बोली मे भाग लेता है तथापि , यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
6. बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रकिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने मे सलाहकार के रूप में भाग लिया है । सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे की बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन ,विनिर्देष और अन्य दस्तावेज तैयार किए हैं , के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ना तो संबंध है और न ही संबंध रहा है या संविदा के लिए प्रयोजना प्रबंधक के रूप मे प्रस्तावित किया जा रहा है ।

अनुलग्नक– **II**

योग्यता के संबंध मे बोलीदाता द्वारा घोषणा

बोलीदाता द्वारा घोषणा

हमारी बोली के संबंध में...की खरीद के लिए..को उनके नोटिस मे प्रतिसाद देते हुए बोलियां संख्या...दिनांक..इसके द्वारा हम राजस्थान लोक उपापन में पारदार्षिता अधिनियम 2012 , की धारा 7 के तहत घोषणा करते है ।

1. हमारे पास आवश्यक पेषेवर तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन है और बोली लगाने वाले दस्तावेज द्वारा आवष्यक क्षमता की खरीद इकाई दवारा की जाती ह। ।
2. हमने संघ और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय ऐसे करों का भुगतान करने का हमारा दायित्व पूरा किया है जैसा कि मैने बोली दस्तावेज मे निर्दिष्ट किया है ।
3. हम दिवालिया नही है । रिसीवर्सषिप में दिवालिया हो रहे या भटक रहे है हमारे मामलों को कोर्ट या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रषासित नही किया गया है न ही हमारी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है और किसी को कानूनी कार्यवाही के अधीन नही किया गया है ।
4. हमारे निदेषकों और अधिकाारियों को हमारे पेषेवर आचरण या झूठे बयान या गलत बयानी से संबंधित किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नही ठहराया गया है जैसे कि हमारी योग्यता एक अवधि के भीतर खरीद अनुबंध मे प्रवेष करने के लिए । खरीद प्रकिया षुरू होने से पहले तीन साल या नही तो डिबेट कार्यवाही के लिए अयौग्य घोषित किया गया है।
5. हमारे पास अधिनियम नियमों ओर बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट हितों का टकराव नही है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक............................

नाम...................................

पद.....................................

स्थान.....................................

पता..................................

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
खान एवं पेट्रोलियम विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
वित्त विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

(1) अपील दायर करना

अपील :– (1) धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए , यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय,कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को , जिसे इस प्रयोजन के लिए पदभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार , जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए , ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या ,यथास्थिति , लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि ,लो पूर्व –अर्हता दस्तावेजों ,बोली लगाने वाले के , रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये,भीतर अपील दाखिल कर सकेगा ।

परन्तु धारा 27 के निबंधनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पष्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले दवारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है ।

परन्तु यह और कि ऐसी दषा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) अधिकारी ,जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव श्षीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(3) यदि उप–धारा (1)के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या , यथास्थिति ,उपापन संस्था,उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या , यथास्थिति,उप–धारा (2)के अधीन पारित आदेष की प्रप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।

4. कतिपय मामलों में अपील नही होगी :–उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिष्चय के विरूद्ध कोई अपील नही होगी, अर्थात:–

(i) (धारा 5 के निबन्धनों में)उपापन की आवश्यकता का अवधारण;
(ii) (धारा 6 के उपबधों के निबन्धनों में) बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने का सीमित करने वाले उपबंध;
(iii)(यह विनिष्चय कि धारा 16 के)निबन्धनों में बातचीत की जाये या नही :
(iv)(धारा 26 के निबन्धनों में) उपापन का रद्दकरण;
(v) (धारा 49 के अधीन) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

(5) अपील का प्रारूपः–(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4)के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितनें कि अपील में प्रत्यर्थी है ।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेष , जिसके विरूद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो| अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस् के संदाय के सबूत के साथ होगी ।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथारिथति द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्ति या रजिरट्रीकृत डाक दवारा या प्राधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(6) अपील फाईल करने के लिए फीस (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ रूपये और दितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी ।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैक मांगदेय डाफ्ट या बैकर चैक के रूप मे किया जायेगा जो संवधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा ।

(7) अपील निपटारे की प्रकिया (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथारिथति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील षपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा ।

(2) सुनवाई के लिये नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथारिथति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपरिथत अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और

(ख) मामले से संबधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा ।

(3) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पष्चात, संबधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेष जारी करेगा । और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेष की प्रति निषुल्क उपलब्ध करवायेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेष राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्षीत किया जायेगा ।

प्रथम भाग(तकनीकी एवं वाणिज्यिक)

निविदा संख्या.आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशासन / 7(39) / 2023 - 436 दिनांक : 03.01.2024

निविदाकारद्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरे
1.	वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर सं....................................... राशि..................................दिनाक..........................
2.	निविदादाताका नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं. / मोबाईल नं / फैक्स नं. / ई मेल।	नाम... पता... टेलीफोन नं... मोबाईल नं .... फैक्स नं. .... ई मेल ....
3.	जीएसटी / परमानेन्ट इन्कम टैक्स नं..एवं सत्यापित प्रतिलिपि यदि है तो (सफल निविदाकार के लिए मांगे जाने पर आवश्यक)	
4.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम पंजीयन संख्या एवं यदि साझेंदारी है तो, डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।	
5.	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण देवें।	
6.	निविदादाता को सरकारी / प्राइवेट संस्थानों में पिछले 3 वर्षो में कम से कम एक वर्ष साफ सफाई एवं रख रखाव का संतोषजनक अनुभव के प्रमाण–पत्रकी सत्यापित प्रतिसंलग्न की गई है।	
7.	क्या निविदादाता / फर्म का आयकर कार्यालय द्वारा जारी (Assessment)नवीनतम प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है?	
8.	क्या निविदादाता ने अपने स्वयं के बारे मेंइस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय / राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है?	
9.	क्या निविदादाता ने clause 6.7 के अनुसार GST के भुगतान एवं रिर्टन फाईल के आशय का एक परिवचन(undertaking) प्रस्तुत किया है?	

प्रमाण– पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने आर.एस.एम.एम.एल. के निविदा कमांक .... जारी किये गये मूल निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तो को पढ़ा है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तो पर सहमत हूं तथा कार्य आदेश मिलने के पष्चात सात दिवसमें साफ सफाई एवं रखरखाव का कार्य सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से करने के लिए बाध्य रहूंगां।

स्थान : ....

दिनांक:..

हस्ताक्षर निविदाकार मय मोहर

अनुलग्नक–V

द्वितीय भाग

निविदा संख्या.आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशासन / 7(39) / 2023-436 दिनांक : 03.01.2024

कार्य की दरें (Rate Part)

निविदाकारद्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :–

कार्य	दर प्रति माह शब्दों में (रू.) (वस्तु एवं सेवाकर (GST)के अतिरिक्त,सभी करोंसहित)	दर प्रति माह अंको में(रू.)(वस्तु एवं सेवाकर (GST)के अतिरिक्त, सभी करों सहित)
राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, प्लोट नं. 02,गांधी नगर स्कीम, बीकानेर कार्यालय में साफ सफाई एवं रखरखाव का कार्य आवष्यक सामान सहित ।		

Note-1. दरें शब्दों एवं अंको (Words & Figures) में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दरों में किसी तरह का अन्तर होने पर न्यूनतम दर को ही प्रस्तावित दर माना जायेगा ।

2..उपरोक्त प्रस्तावित दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त देय होगी एवं वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा करवाने का चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

निविदाकारके हस्ताक्षर...

निविदाकार / फर्म का नाम व पता ....
....
....
....

निविदाकार का टेलीफोन/मोबाईल नं...

दिनांक...

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.....................की अपील सं. ....

(प्रथम्/द्वितीय अपील प्राधिकारी)...........................के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां
(क) अपीलार्थी का नाम...
(ख) कार्यालय का पता यदि कोई हो तो ....
....
(ग) आवासिक पता...

2. प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) का नाम और पता
(क)
(ख)
(ग)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपी संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है ।

4. यदि अपीलाथी किसी प्रतिनिधि दवारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या

6. अपील का आधार
....
....
......(शपथपत्र दवारा समर्थित)

7. प्रार्थना..
....

स्थान..............
दिनांक..............

अपीलार्थी के हस्ताक्षर